न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।

दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन सं0–252/2019

रामदेव सिंह एवं अन्य ....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

विपक्षी बिहार सरकार की ओर से .... श्री श्रीधन कुमार तिवारी, अपर लोक अभियोजक, बिक्रमगंज, रोहतास।

विपक्षी रामदयाल सिंह एवं अन्य की ओर से .... अनुपस्थित।

आदेश की तिथि– 10.03.2026

उपस्थित– ओम सागर
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास।

आदेश

1. पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज के द्वारा वाद सं0– 825/2019, में दिनांक 16.07.2019 को द0प्र0स0 की धारा 107 के अधीन प्रारंभ की गई, कार्यवाही के विरुद्ध लाया है तथा पुनरीक्षणकर्ता ने आपने विरुद्ध प्रारंभ किए गए, उक्त कार्यवाही को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की हे।

2. पुनरीक्षणकर्ता, इस पुनरीक्षण आवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं।

3. विपक्षीगण की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है।

4. अतः विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह कथन है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने यह दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज के द्वारा द0प्र0स0 की धारा 107 के अधीन दिनांक 16.07.2019 को प्रारंभ की गई कार्यवाही के विरुद्ध लाया है। उक्त कार्यवाही के प्रारंभ हुए लगभग एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, जिसके कारण पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरुद्ध निर्गत दिनांक 16.07.2019 का आदेश प्रभावहीन हो चुका है, इसलिए विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा इस पुनरीक्षण आवेदन को प्रभावहीन हो जाने के कारण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं मामले के अभिलेख तथा विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरुद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अधीन कार्यवाही दिनांक 16.

07.2019 को प्रारंभ की गई थी। उक्त आदेश के पारित हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, जिसके कारण पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरुद्ध पारित दिनांक 16.07.2019 का आदेश प्रभावहीन हो चुका है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के प्रभावहीन हो जाने के कारण इस पुनरीक्षण आवेदक को निस्तारित करते हुए खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज।